रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042022-234755
CG-DL-E-01042022-234755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944
No. 233] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 01/2022-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 236(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में

क. अनुसूची I में - 2.5%, क्रमांक 225ख, 226, 227, 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

ख. अनुसूची II में - 6%, क्रमांक 176क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा; यथा: -

"176 ख	6815	फ्लाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
176 ग	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईटे

176 घ	6904 10 00	निर्माणी ईंटे
176 ङ	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले”

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/56/2022-टी.आर.यू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2021-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 920(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 01/2022-Central Tax (Rate)

G.S.R. 236(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E)., dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule I – 2.5%, serial numbers 225B,226, 227, 228 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule II – 6%, after serial number 176A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“176B	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks
176C	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
176D	6904 10 00	Building bricks
176E	6905 10 00	Earthen or roofing tiles”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

[F. No. 190354/56/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No. 21/2021 – Central Tax (Rate), dated the 31st December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 920(E), dated the 31st December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 02/2022-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 237(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 11 की उप-धारा (1) और धारा 16 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, ऐसे माल की अंत:राज्यीय पूर्ति को, जिसका वर्णन नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, पूर्वोक्त सारणी के कॉलम (5) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तो के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) कि धारा 9 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने केंद्रीय कर से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के कॉलम (4) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है :

सारणी

क्रमांक	टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	फ्लाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स	3%	1
2.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईटे	3%	1
3.	6904 10 00	निर्माणी ईटे	3%	1
4.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले	3%	1

स्पष्टीकरण-

(i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सिमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकरण टिप्पण भी है, के निर्वचन के लिए नियम, जहा तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

उपाबंध

शर्त संख्या	शर्त
1	(क) माल कि पूर्ति में अनन्य रुप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है ; और (ख) माल कि पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पुर्तियो को भागत: प्रभावित करने के लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानो ऐसे माल कि पूर्ति एक छूट प्राप्त पूर्ति है और केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) कि धरा 17 कि उपधारा (2) और तदधीन बनाये गए नियम के उपबंध लागु होते ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/56/2022-टी.आर.यू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 02/2022-Central Tax (Rate)

G.S.R. 237(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 and sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said table, from so much of the central tax leviable thereon under section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said table and subject to the relevant conditions annexed to this notification, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said table:

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks	3%	1
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths	3%	1
3.	6904 10 00	Building bricks	3%	1
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles	3%	1

***Explanation*. –**

(i) For the purposes of this notification, "Tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	**Condition**
1.	(a) credit of input tax charged on goods or services used exclusively in supplying such goods has not been taken; and (b) credit of input tax charged on goods or services used partly for supplying such goods and partly for effecting other supplies eligible for input tax credits, is reversed as if supply of such goods is an exempt supply and attracts provisions of sub-section (2) of section 17 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and the rules made thereunder.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

[F. No. 190354/56/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 01/2022-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 238(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में

क. अनुसूची I में - 5%, क्रमांक 225ख, 226, 227, 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

ख. अनुसूची II में - 12%, क्रमांक 176क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा; यथा: -

"176 ख	6815	फ्लाई ऐश की ईंटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
176 ग	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईंटे
176 घ	6904 10 00	निर्माणी ईंटे
176 ङ	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/56/2022-टी.आर.यू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 666(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2021- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 921(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 01/2022-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 238(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E)., dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule I – 5%, serial numbers 225B,226, 227, 228 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule II – 12%, after serial number 176A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

"176B	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks
176C	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
176D	6904 10 00	Building bricks
176E	6905 10 00	Earthen or roofing tiles".

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

[F. No. 190354/56/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No. 21/2021 – Integrated Tax (Rate), dated the 31st December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 921(E), dated the 31st December, 2021

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 02/2022-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 239(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 16 की उप धारा (1) के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13), की धारा 6 की उप धारा (1) और धारा 20 के खंड (iv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, ऐसे माल की अंतर राज्यीय पूर्ति को, जिसका वर्णन नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, पूर्वोक्त सारणी के कॉलम (5) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तो के अधीन रहते हुए, एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) कि धारा 5 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने केंद्रीय कर से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के कॉलम (4) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है

सारणी

क्रमांक	टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	फ्लाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स	6%	1
2.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईटे	6%	1
3.	6904 10 00	निर्माणी ईटे	6%	1
4.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले	6%	1

स्पष्टीकरण -

(i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सिमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकरण टिप्पण भी है, के निर्वचन के लिए नियम, जहा तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

उपाबंध

शर्त संख्या	**शर्त**
1	(क) माल कि पूर्ति में अनन्य रुप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है ; और (ख) माल कि पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पुर्तियो को भागत: प्रभावित करने के लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानो ऐसे माल कि पूर्ति एक छूट प्राप्त पूर्ति है और केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) कि धरा 17 कि उपधारा (2) और तदधीन बनाये गए नियम के उपबंध लागु होते ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/56/2022-टी.आर.यू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 02/2022-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 239(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 and clause (iv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby exempts the inter-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said table, from so much of the integrated tax leviable thereon under section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said table and subject to the relevant conditions annexed to this notification, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said table:

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks	6%	1

2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths	6%	1
3.	6904 10 00	Building bricks	6%	1
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles	6%	1

***Explanation*. –**

(i) For the purposes of this notification, "Tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	Condition
1.	(a) credit of input tax charged on goods or services used exclusively in supplying such goods has not been taken; and (b) credit of input tax charged on goods or services used partly for supplying such goods and partly for effecting other supplies eligible for input tax credits, is reversed as if supply of such goods is an exempt supply and attracts provisions of sub-section (2) of section 17 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and the rules made thereunder.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

[F. No. 190354/56/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 01/2022-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 240(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 7 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में

क. अनुसूची I में – 2.5%, क्रमांक 225ख, 226, 227, 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

ख. अनुसूची II में - 6%, क्रमांक 176क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा; यथा: -

"176 ख	6815	फ्लाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
176 ग	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईंटे

176 घ	6904 10 00	निर्माणी ईंटे
176 ङ	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले”

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/56/2022-टी.आर.यू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2021- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 922(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 01/2022-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 240(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E)., dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule I – 2.5%, serial numbers 225B,226, 227, 228 and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule II – 6%, after serial number 176A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“176B	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks
176C	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
176D	6904 10 00	Building bricks
176E	6905 10 00	Earthen or roofing tiles”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

[F. No. 190354/56/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification No. 21/2021 – Union Territory Tax (Rate), dated the 31st December, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 922(E), dated the 31st December, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 02/2022-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 241(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 16 की उप धारा (1) के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 8 की उप धारा (1) और धारा 21 के खंड (v) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, ऐसे माल की अंत: राज्यीय पूर्ति को, जिसका वर्णन नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है, पूर्वोक्त सारणी के कॉलम (5) की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट इस अधिसूचना के उपाबंध में विनिर्दिष्ट सुसंगत शर्तो के अधीन रहते हुए, संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) कि धारा 7 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने केंद्रीय कर से छूट प्रदान करती है, जो उक्त सारणी के कॉलम (4) में की तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित रकम से अधिक है

सारणी

क्रमांक	टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण	दर	शर्त संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	फ्लाई ऐश की ईंटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स	3%	1
2.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईंटे	3%	1
3.	6904 10 00	निर्माणी ईंटे	3%	1
4.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले	3%	1

***स्पष्टीकरण*-**

(i) इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सिमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा।

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकरण टिप्पण भी है, के निर्वचन के लिए नियम, जहा तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

उपाबंध

शर्त संख्या	शर्त
1	(क) माल कि पूर्ति में अनन्य रुप से प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है ; और (ख) माल कि पूर्ति के लिए प्रयुक्त माल या सेवाओं पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय और इनपुट कर प्रत्यय के लिए पात्र अन्य पुर्तियो को भागत: प्रभावित करने के लिए, इस प्रकार उलट दिया जाता है कि मानो ऐसे माल कि पूर्ति एक छूट प्राप्त पूर्ति है और केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) कि धरा 17 कि उपधारा (2) और तदधीन बनाये गए नियम के उपबंध लागु होते ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/56/2022-टी.आर.यू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 02/2022-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 241(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 and clause (v) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with sub-section (1) of section 16 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said table, from so much of the union territory tax leviable thereon under section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said table and subject to the relevant conditions annexed to this notification, the condition number of which is mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said table:

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description	Rate	Condition No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks	3%	1
2.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths	3%	1
3.	6904 10 00	Building bricks	3%	1
4.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles	3%	1

***Explanation*. –**

(i) For the purposes of this notification, "Tariff item", "sub-heading", "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(ii) The rules for the interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

ANNEXURE

Condition No.	**Condition**
1.	(a) credit of input tax charged on goods or services used exclusively in supplying such goods has not been taken; and (b) credit of input tax charged on goods or services used partly for supplying such goods and partly for effecting other supplies eligible for input tax credits, is reversed as if supply of such goods is an exempt supply and attracts provisions of sub-section (2) of section 17 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) and the rules made thereunder.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

[F. No. 190354/56/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 03/2022-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 242(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 23 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 190 (अ), दिनांक 07 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा; यथा: -

"4.	6815	फ्लाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
5.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईटे
6.	6904 10 00	निर्माणी ईटे
7.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/56/2022-टी.आर.यू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 190 (अ), दिनांक 07 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 03/2022-Central Tax

G.S.R. 242(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.10/2019-Central Tax, dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 190(E), dated the 7th March, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

"4.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks
5.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
6.	6904 10 00	Building bricks
7.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles".

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

[F. No. 190354/56/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 10/2019-Central Tax, dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 190(E), dated the 7th March, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 04/2022-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 243(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 10 की उप धारा (1) के परन्तुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 196 (अ), दिनांक 07 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा; यथा: -

"4.	6815	फ्लाई ऐश की ईंटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
5.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईंटे
6.	6904 10 00	निर्माणी ईंटे
7.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं 190354/56/2022-टी.आर.यू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 196 (अ), दिनांक 07 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 43/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 30 सितंबर, 2019, जिसे सा.का.नि. 729(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 04/2022-Central Tax

G.S.R. 243(E).—In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.14/2019-Central Tax, dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 196(E)., dated the 7th March, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“4.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks
5.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
6.	6904 10 00	Building bricks
7.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

[F. No. 190354/56/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No.14/2019-Central Tax, dated the 7th March, 2019, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 196(E), dated the 7th March, 2019, and was last amended by notification No. 43/2019 – Central Tax, dated the 30th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 729(E), dated the 30th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 01/2022- संघ राज्य कर

सा.का.नि. 244(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 23 की उप धारा (2) के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 21 के खंड (vi) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2019- संघ राज्य कर, दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 192 (अ), दिनांक 07 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा; यथा: -

“4.	6815	फ्लाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
5.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईटे
6.	6904 10 00	निर्माणी ईटे
7.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले”

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं 190354/56/2022-टी.आर.यू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 02/2019- संघ राज्य कर, दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 192(अ), दिनांक 07 मार्च, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 01/2022-Union Territory Tax

G.S.R. 244(E).—In exercise of the powers conferred by clause (vi) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (2) of section 23 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.02/2019-Union Territory Tax, dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 192(E), dated the 7th March, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

"4.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks
5.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
6.	6904 10 00	Building bricks
7.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles".

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

[F. No.190354/56/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 02/2019-Union Territory Tax, dated the 7th March, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 192(E), dated the 7th March, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

सं. 02/2022-संघ राज्य कर

सा.का.नि. 245(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 10 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा 21 तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2017- संघ राज्य कर, दिनांक 27 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 648 (अ), दिनांक 27 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्त: स्थापित किया जाएगा; यथा: -

"4.	6815	फ्लाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
5.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईटे
6.	6904 10 00	निर्माणी ईटे
7.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं. 190354/56/2022-टी.आर.यू]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 02/2017- संघ राज्य कर, दिनांक 27 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 648 (अ), दिनांक 27 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2018- संघ राज्य कर, दिनांक 01 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 03(अ), दिनांक 01 जनवरी, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

No. 02/2022-Union Territory Tax

G.S.R. 245(E).—In exercise of the powers conferred under the sub-section (1) and sub-section(2) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017(14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.02/2017-Union Territory Tax, dated the 27th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 648(E)., dated the 27th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

"4.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 per cent. or more fly ash content; Fly ash blocks
5.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
6.	6904 10 00	Building bricks
7.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles".

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

[F. No. 190354/56/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No.02/2017-Union Territory Tax, dated the 27th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 648(E), dated the 27th June, 2017, and was last amended by notification No. 01/2018 – Union Territory Tax, dated the 1st January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 03(E), dated the 1st January, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.04.01 01:39:15 +05'30'